

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, पाली (जिला-पाली)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या ... 807/2021

अनवान सरकार जारिये तहसीलदार, पाली

बनाम

आदेश

जी.सी.एम.एस. फॉटल नंबर 140/2021

छैलकंवर वगैरह

निर्णय दिनांक- 02.07.2021

(अंतर्गत धारा 136,131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956)

प्रार्थी तहसीलदार, पाली के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार मण्डल- देवाली व भू.अ. निरीक्षक- खैरवा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पाली की अनुशंशा के आधार पर तहसील क्षेत्र पाली में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर एवं राजस्व विभाग, राजस्थान निर्देशानुसार भू-अभिलेखों की डिजिटलाईजेशन हेतु संचालित DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के अंतर्गत जमाबंदी, नक्शा स्थिति की अनुरूपता के लिए मौका एवं नक्शा की स्थिति में भिन्नाता के फलस्वरूप तरमीम कार्य में अवरोध के निराकरण हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं 131 के अनुसरण में मौजा ग्राम देवाली कलां तहसील- पाली, जिला- पाली की जमाबंदी संवत् 2077-2080 में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरमद किए जाने के आदेश दिये जाते हैं खातेदारान के नाम, हक हिस्सा एवं रहन की प्रविष्टियां, कुल रकबा एवं भूमि की किस्म अप्रभावित रहते हुए बदस्तुर जारी रहेगी। कोई भी खातेदार किसी भी समय आवश्यक समझे तो संबंधित सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के तहत खसरा विभाजन

मौजा ग्राम- देवाली कलां पटवार मण्डल- देवाली भू.अ.नि. - खैरवा, तहसील-पाली जिला-पाली

शुद्धि की प्रविष्टि

वर्तमान खाते का विवरण		खातेदार का विवरण		शुद्धि की प्रविष्टि		खातेदार का विवरण	
खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
68	206	1.15	चा.प्र.	206	206/3	1.07	चा.प्रथम
योग	01	1.15	चा.प्र.	02		1.15	चा.प्रथम

छैलकंवर पति खंगारसिंह, सज्जनसिंह
इश्वरसिंह पि.खंगारसिंह, खंगारसिंह पुत्र
विजोसिंह, मोहनसिंह मंगलसिंह पि.भूरसिंह,
जालमसिंह पुत्र विशानसिंह, दीवानकंवर
पति मूलसिंह कौम राजपूत सा.देह
खातेदार

छैलकंवर पति खंगारसिंह,
सज्जनसिंह इश्वरसिंह पि.खंगारसिंह,
खंगारसिंह पुत्र विजोसिंह, मोहनसिंह
मंगलसिंह पि.भूरसिंह, जालमसिंह
पुत्र विशानसिंह, दीवानकंवर पति
मूलसिंह कौम राजपूत सा.देह
खातेदार

नोट- उपरोक्तानुसार खसरा नम्बर 206 को ख.सं.नम्बर 206 व 206/3 में विभाजित करने के आदेश दिये जाते हैं।

1. विधमानुसार जमान दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।


(देशल दान)

आई.ए.एस.

सहायक कलेक्टर एवं

पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, पाली